ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 350-352

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

भारत में माहिला सशक्तिकरण और पंचायती राज व्यवस्था का : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रामाश्रय यादव

असि0 प्रोफेसर–प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, गंगा गौरी पी0जी0 कालेज, रामनगर बैजावरी, आजमगढ (उ0प्र0), भारत

Received- 22.07.2020, Revised- 25.07.2020, Accepted - 27.07.2020 E-mail: tamzeedkhan88082@gmail.com

सारांश : *भारतीय समाज में समाजिक राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में पुरूषों का प्रभुत्व रहा है माहिलओं की स्थिति चाहे वह उच्च जाति या वर्ग से हो या निम्न जाति या वर्ग से हो हासिये पर रही है। उतर कालीन स्मृतियों मे स्त्रियों की स्थिति गिराने में अनेक शास्त्रकारों द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं का योग रहा मनु ने कहा है कि स्त्रियाँ कभी स्वतंन्त्र रहने के योग्य नही है वाल्यावस्था में उन्हें पिता युवावस्था में पति और वृद्वावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए[1] इस काल में स्त्रियों की सामान्य स्थिति में गिरावट आई।*

कुंजीभूत शब्द– भारतीय समाज,,समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र, माहिलओं, उच्च जाति, वर्ग, उतर कालीन।

महिला सशक्तिकरण से हमारा ताप्पर्य उनके शक्ति और संसाधनो की प्राप्ति है ताकि महिलाये स्यवं अपने लिए निर्णय ले सके अथवा दूसरों द्वारा अपने विरूद्व लिये गये निर्णयों का विरोध कर सके। आज के समाज मे उस व्यक्ति को सशक्त कहा जाता है जिसके पास अधिक शक्ति व्याक्तिगत सम्पति जमीन, योग्यताए शिक्षा ज्ञान उच्च सामाजिक स्तर नेतागिरी के गुण गतिशीलता और परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने की क्षमता इत्यादि यह सभी संसाधन व्यक्ति के निर्णय की शक्ति को बढाते है और ये सभी संसाधन के आयाम महिलाओ के अन्दर नही थे। स्वतंन्त्रता के बाद भारत मे शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयासों से महिलाओ की गिरी हुई दशाओ को सुधारने कार्य किया जिसमे कुछ बैधानिक नियम बनाये गये वे इस प्रकार है– 1–दहेज निषेध कानून 1961, 2– सती प्रथा निवारक कानून 1987, 3– प्रसवपूर्व निदान तकनीक (नियमन एवं दुरूपयोग निवारण) कानून 1994, 4– हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956, 5– हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, 6– घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005, 7– महिलाओं का अनैतिक व्यापार निवारण कानून 1956, 8– महिला अष्लील चित्रण कानून 1986, 9– महिलाओं के राश्ट्रीय आयोग कानून 1990 तथा 10– प्रसुति लाभ कानून 1961 आदि है भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को समानता, स्वतंतत्रता, शिक्षा पाने और संस्कृति के प्रचार, शोषण के विरूद्ध अधिकार आदि सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।[2]

महिला सशक्तिकरण की शुरूआत– सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण का आरम्भ राजनीति से शुरू होता है दुनिया के विभिन्न देशों में अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैण्ड जैसे विकसीत देशों में भी महिलाओं को पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार पाने के लिए एक लम्बे समय तक संघर्ष करना पड़ा। इस समान संघर्ष का व्यापक विरोध हुआ। न्यूजीलैण्ड वह पहला देश जिसने 1883 में पुरूषों के समान मताधिकार देकर इस काम की पहल की फिर 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में फिनलैण्ड में महिलाओं को मताधिकार के साथ स्वयं निर्वाचित होने का भी अधिकार सन् 1906 में दिया गया।[3] इन्ही देशों की संस्कृतियों का प्रभाव भारतीय समाज की नारियों के ऊपर पड़ा और इधर राजाराम मोहन राय ने आर्य समाज तथा प्रार्थना समाज के प्रयत्नों से स्त्रियों की दशा–सुधार की माँग की। सन् 1927 में अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना हुई थी। उसके सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में सहभाग करना आरम्भ कर दिया गया, फलस्वरूप पहली बार देश में ऐसी अनेक महिलाओं के नाम उभरने लगे जिनकी राजनीतिक क्षमता को देखकर ब्रिटीश सरकार भी चौकन्नी हो गयी सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, विजय लक्ष्मी पण्डित, कमला दास गुप्ता, सूचेता कृपलानी, अरूणा आसफ अली तथा राजकुमारी अमृत कौर आदि इसी तरह की महिला नेता थी ब्रिटीश पार्लियामेंट द्वारा 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा प्रान्तीय सरकारों के लिए होने वाले चुनावों में महिलाओं के लिए 41 स्थान सुरक्षित किये गये थे। स्वतन्त्रता के बाद जब 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ तब 23 स्त्रियां लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई सन् 1984 में लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों में 67 महिलाओं ने चुनाव जीत कर संसद की सदस्यता प्राप्त की वर्तमान राज्यसभा के 245 सदस्यों में स्त्रियों की संख्या 25 तथा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिला सदस्यों की संख्या 59 हैं।[4] सन् 1966 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधान मन्त्री निर्वाचित

अनुरूपी लेखक

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

हुई तो सम्पूर्ण विश्व आवाक रह गया यूरोप देश के लोग भारतीय महिलाओं को रूढ़िवादी अशिक्षित और पिछड़ी मानने के अभ्यस्त थे इसके बाद भी जब इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीय विकास सन् 1971 में पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध तथा पंजाब में पैदा होने वाले उग्रवाद का समाधान करने में जिस सुझ–बुझ और राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया वह पूरी दुनिया के लिए आज एक आश्चर्य का विषय था।

भारत में माहिला शसक्तिकरण की झलक भारत मे समय–समय पर अपने अपने क्षेत्र मे परचम लहराने वाली कुछ महिलाएं निम्नलिखित है जैसे– मेधा पाटेकर, किरण वेदी, सानिया मिर्जा, इन्दिरा गाँधी, देविका चौहान, राजमाता कर्णावती, बछेन्द्री पाल, प्रातिमा पाटिल, जयललिता, ममता बनर्जी, कु0 मायावती, सोनिया गाँधी, इत्यादि। एक नये सर्वेक्षण के तहत विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओ की फोर्ब्स सूची मे सोनिया गाँधी को सर्वाधिक शक्तिशाली हस्ती महिला घोषित होने का गौराव प्राप्त है क्योकि सोनिया गाँधी दो बार प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार कर चुकी है इसलिए इनको विश्व की 11 वी सर्वाधिक हस्ती फोर्ब्स के इस आकलन में बताया गया है। अन्य दो भारत की माहिलाओं में आई सी आई बैक की सीईओ चदा कोचर (43 वाँ स्थान) व बायोकान की चेयरपर्सन किरण मजूमदार सो (99 वाँ स्थान) को इस सूची में शामिल किया गया है।

भारत मे शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयासो तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद मे पंचायती राज की शुरूआत हुई संविधान के (अनुच्छेद40) मे राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अर्न्तगत त्रिस्तरी पंचायती राज ढॉचे का प्रावधान किया गया । जिसमें राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्त शासन की इकाइयो के रूप मे कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। पंचायती राज कार्यक्रम का शुभारम्भ 2 अक्ट्बर 1959 को नागौर (राजस्थान) मे हुआ था। पंण्डित ज्वाहरलाल नेहरू का कहना था कि पंचायत हमारी राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है उनको काम करने दो चाहे वे हजारो गलतिया करे।

भारत सरकार दारा 73 वा संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया जिसकों त्रिस्तरीय ढाँचें का रूप दिया गया (1) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (2) खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा (3) जिला स्तर पर जिला परिषद । इस समय देश मे लगभग दो लाख बीस हजार ग्राम पंचायतें लगभग हजार पाँच सौ पंचायतें समितिया और 371 जिला परिषदें कार्यरत है।

पंचायती राज का अर्थ जनता द्वारा चुने गये व्यवक्ति एक सामिति या पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वयं स्थानीय स्वशासन का संचालन करे ग्यारहवी अनुसूची मे वर्णित सामाजिक अर्थिक विकास संबंधी कार्य 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संविधान मे ग्राम पंचायतों के कुछ नये दायित्व सौंपे गये है। जैसे कृषि का विकास ग्रामोंउद्योग की स्थापना, चिकित्सा, सफाई, सड़को, फूलो, कुओ, एवं तालाबों आदि का रखरखाव पेयजल की व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण स्वच्छता इत्यादि। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था मे क्रान्तिकारी बदलाव आया त्रिस्तरीय पंचायत राज के ढॉचे मे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला देश की सम्पूर्ण महिलाओ को एक तिहाई आरक्षण पंचायतो के प्रत्येक स्तर पर दिया गया 73 वे संबिधान संशोधन के द्वारा अनुसचित जाति जनजाति पिछडे तथा सामान्य वर्ग की महिलाओ के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। जिससे देश के सामाजिक एंव राजनीतिक जीवन मे एक संतुलन स्थापित हो सके संशोधन की धारा 243 डी (2) यह निर्देश देती है कि सम्पूर्ण पदो के एक तिहाई पद महिलाओ के लिए सुरक्षित रहेगे देश के 16 विमिन्न राज्यो संघशासित क्षेत्रो मे लागू त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी की सरिणी निम्नवत् है–

भारत के 16 राज्यो मे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के चुनाव मे महिलाओ का प्रतिनिधित्व वर्ष 2010 –

क्रम संख्या	राज्य /संघशासित क्षेत्र	ग्राम	पंचायत	क्षेत्र	पंचायत	जिला	पंचायत
		महिला	कुल सं0	महिला	कुल संख्या	पुरूष	महिला
	1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	68736	208291	4919	14617	364	1095
2	असम	7851	23471	746	2148	117	390
3	छत्तीसगढ	41913	124211	906	2639	95	274
4	गुजरात	41180	123470	1312	3919	274	817
5	हरियाणा	18356	546046	842	2430	109	314
6	हिमान्चल प्रदेश	6822	18549	562	1658	87	271
7	कर्नाटक	35922	80073	1375	3255	339	890
8	करेल	4801	13259	629	1638	105	307
9	मध्य प्रदेश	106491	314847	2159	6456	248	734
10	महाराष्ट्र	77549	23644	1407	3902	3658	1951
11	उड़ीसा	31414	87547	2188	6227	296	854
12	पंजाब	26939	75473	813	2480	89	279
13	राजस्थान	39450	114282	1908	5257	364	1008
14	चण्डीगढ	55	162	06	15	03	10
15	लक्षद्वीप	30	79	0	0	08	22
16	उत्तर प्रदेश	20135	51914	24951	64879	29	43
	योग	527643	1805318	44723	121520	3185	9239

वर्ष 2010 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों पर गौर फरमाए तो स्थानीय सियासत में महिलाओं के बढ़ते दबदबे की तस्वीर साफ होती है उपर्युक्त सारिणी के 16 प्रदेशों में ग्राम पंचायत की कुल संख्या –1805318 में से 527643 महिला निर्वाचित है जबकि क्षेत्र पंचायत के कुल पदों की संख्या 121520 में से 44723 निर्वाचित है तीसरे

PIF/5.002 ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

स्तर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों की संख्या 12424 में से 9239 पर महिलाओं का कब्जा है। इस तरह से 16 प्रदेशों त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के चुनाव में कुल महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या 581605 हैं। त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था में यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि यही एक कदम ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और गाँवों की स्थिति सुधारने में इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा आज गाँव के प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी पत्नियों, बहनों को चुनाव जीताकर समझ लिया कि वह उनके इशारे पर चलेगी। परन्तु एक बार सत्ता का हिस्सा बनने के बाद महिला सदस्य औरतों से जुड़े मुद्दों के साथ–साथ सामान्य विकास के कार्यो में दिलचस्पी लेने लगी है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुरू में महिला आरक्षण और उसके चुनाव का मजाक उड़ाया जाता था और पुरूषों की कठपुतली मानकर उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया जाता था।

अध्ययन के उद्देश्य– वर्तमान शोध के प्रमुख उद्देश्य संक्षेप मे निम्नलिखित है। –

1. भारतीय समाज मे मालिाओं को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता का पता लगाना।
2. ग्राम पंचायत मे आराक्षित महिलाओं की सामाजिक व राजनीतिक पृष्टभूमि का पता लगाना।
3. भारत के प्रदेशों मे ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्वाचित महिला सदस्यो की संख्या ज्ञात करना ।
4. महिलाओं के आरक्षण का उनकी प्ररिस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना।
5. महिला सदस्यों का विकास कार्यक्रम एवं समस्या समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पाए – इस शोध पत्र मे निल्नांकित परिकल्पांए निर्मित की गयी है।

1. आरक्षण से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हैं।
2. पंचायतों में प्राप्त आरक्षण से महिलाओं की प्ररिस्थिति में सुधार हुआ है।
3. महिलाओं में पद प्राप्ति के प्रति आकांक्षा में वृद्धि हुई है।
4. पंचायतों में युवा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।
5. राजनीति में सक्रिय होने से महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ हैं।
6. महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।
7. पंचायतों में प्राप्त पदो के कारण महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है।

शोध पद्धति शास्त्र– प्रस्तुत अध्ययन भारत के विकसित राजनैतिक महिलाएं और विभिन्न प्रदेशों के त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर आधारित है।

निस्कर्ष– आज जिस गति से महिलओं में परिवर्तन हो हो रहा है और जिस उत्साह के साथ सामाजिक समानता की उनके द्वारा माँग की जा रही है उन सबको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भविष्य मे आने वाला युग महिलाओ का होग। देश मे पिछले कुछ वर्षों में जो सामाजिक अधिनियम पारित किये गये है शिक्षा के बढने साथ–साथ उनका हिन्दू समाज पर क्रान्तिकारी प्रभाव आवश्यक पडेगा 73 वाँ संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राजव्यवस्था में महिलाओं की भागदारी उत्तरोत्तर क्रम मे लगातार बढती जा रही है। इसके अलवाँ महिला सशाक्तिकरण की खातिर केंन्द्र सरकार भले ही पंचायत मे महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटे आराक्षित करने की कवायत भे जुटी हो, कानून लागू होने से पूर्व ही उनका आधे से अधिक अहम पदो पर कब्जा है। जैसे –जैसे महिला साक्षरता का प्रतिशत बढेगा वैसे बैसे महिला पंच और सरपंच अधिक विश्वास व कार्य कुशलता के साथ गाँवो मे सामाजिक अर्थिक और सास्कृतिक जीवन को बेहतर बनाने मे अपनी भूमिका बढाएगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने। रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रयम इति।। मनुस्मृति (धर्म शास्त्रकाल)
2. भारत 2011: भारत सरकार पब्लिकेशन
3. भारत 2005 (भारत सरकार),पब्लिकेशन बुक– भारतीय समाजिक विचारक
4. भारत 2005 (भारत सरकार),पब्लिकेशन भारतीय राजनीति मे महिलओ की भागीदारी पृ0 सं0 45
5. पंचाब केसरी, 8 मार्च 2007 सम्पादनकीय पृष्ट। नारी की बदलती दूनिया।
6. समसामायिक वार्षिकी 2012 (प्रतियोगिता दपर्ण) पृ0 सं0 173 ।
7. भारत का संविधान : भारत सरकार विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय विधाई विभाग राजभाषा खण्ड 1991 पृ0 सं0 13 ।
8. सुरेन्द्र कटरिया': पंचायती राज संस्याए अतीत वर्तमान और भाविष्य, नेशनल पब्लिकेशन हाऊस, जयपुर –नई दिल्ली ।

*****